संख्या-14/2024/3871/22-2-2023-17(1171)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 जनवरी, 2024

विषय:- जिला कारागार, बलिया में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लल्लन चौबे पुत्र श्री जमुना चौबे, निवासी जनपद-बलिया की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-31436/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-10-10-2023) दिनांक-19.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बलिया में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लल्लन चौबे पुत्र श्री जमुना चौबे, जो अखार थाना- दुबहड़, जनपद-बलिया का निवासी है, बन्दी द्वारा घर की भूमि के विवाद की रंजिश में दिनांक 31-05-1987 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, भाला व बन्दूक से गोली मारकर श्रीमती राजकुमारी नामक महिला की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-198/1987 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307/34 में मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलिया के आदेश दिनांक 13.05.1991 द्वारा दोषमुक्त किया गया, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06-10-2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 29.10.2010 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया, दवारा दिनांक 02-08-2023 तक 16 वर्ष 06 माह 25 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 09 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि घर की भूमि के विवाद की रंजिश में दिनांक 31.05.1987 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, भाला व बन्दूक से गोली मारकर श्रीमती राजकुमारी नामक महिला की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी लल्लन चौबे पुत्र श्री जमुना चौबे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बलिया में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लल्लन चौबे (बन्दी संख्या-1577/2007) पुत्र श्री जमुना चौबे, निवासी जनपद-बलिया को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-14 /2024/3871(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बलिया।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या-207/2023 लल्लन चौबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2023 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-14/2024/3871/22-2-2023-17(1171)/2023

दिनांक 17 जनवरी, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बलिया में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लल्लन चौबे पुत्र श्री जमुना चौबे, जो अखार थाना-दुबहड़, जनपद-बलिया का निवासी है, बन्दी द्वारा घर की भूमि के विवाद की रंजिश में दिनांक 31-05-1987 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, भाला व बन्दूक से गोली मारकर श्रीमती राजकुमारी नामक महिला की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-198/1987 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307/34 में मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलिया के आदेश दिनांक 13.05.1991 द्वारा दोषमुक्त किया गया, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06-10-2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 29.10.2010 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया, दवारा दिनांक 02-08-2023 तक 16 वर्ष 06 माह 25 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 09 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि घर की भूमि के विवाद की रंजिश में दिनांक 31.05.1987 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, भाला व बन्दूक से गोली मारकर श्रीमती राजकुमारी नामक महिला की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी लल्लन चौबे पुत्र श्री जमुना चौबे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।